

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2025/783
बअनवान मोहनसिंह बनाम स्व. रामदयाल के कामु मुकेश वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सीपीसी)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक की तामील में जारी हुये
24/12 28	<p>वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी पेश करने पर पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2023/242 अनवान मोहनसिंह बनाम स्व. रामदयाल के कामु मुकेश वगैरा में दिनांक 28.10.2025 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिक्री में त्रुटिवश खसरा नंबर 117 के रकबा 0.67 हैक्टर के स्थान पर त्रुटिवश रकबा 0.86 हैक्टर लिखा गया है जो गलत है जिसके कारण राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने में दुविधा उत्पन्न होने से त्रुटि को सुधारने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन के पश्चात धारा 152 सीपीसी के तहत न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2023/242 अनवान मोहनसिंह बनाम स्व. रामदयाल के कामु मुकेश वगैरा में दिनांक 28.10.2025 को पारित आदेश व डिक्री में खसरा नंबर 117 के रकबा 0.86 हैक्टर के स्थान पर 0.67 हैक्टर के संशोधन के आदेश दिये जाते है। इस संशोधन को प्रकरण राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2023/242 अनवान मोहनसिंह बनाम स्व. रामदयाल के कामु मुकेश वगैरा में दिनांक 28.10.2025 को पारित आदेश व डिक्री की निरंतरता में पढा जावें।</p>	



3
सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, पाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली